न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

निर्णय दिनांकः 29.11.19

मिसल नं0:–20/19

अनवानः– स्टेट जरिये प0ह0 गंगाशहर **बनाम** हरिकिशन पुत्र श्री जाति मारू निवासी सुजानदेसर

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगाशहर ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत् 2076 में गैर सायल हरिकिशन पुत्र श्री जाति मारू निवासी सुजानदेसर ने सुजानदेसर के खसरा सं0 56 के तादादी 1800 वर्गफीट क्षेत्रफल में नाजायज रूप से चारदीवारी कर कमरा बना कर राजकीय गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया एवं नियमानुसार तामिल कराया गया। लेकिन गैर सायल न तो उपस्थित हुआ तथा ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया । जिससे साबित होता है कि अतिक्रमी द्वारा गोचर भूमि पर जानबूझ कर अतिक्रमण किया गया है।

गैर सायल हरिकिशन पुत्र श्री जाति मारू निवासी सुजानदेसर ने सुजानदेसर के खसरा सं0 56 के तादादी 1800 वर्गफीट क्षेत्रफल में नाजायज अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा–91 के प्रावधानों के अनुसार हरिकिशन पुत्र श्री जाति मारू को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं 1800 वर्गफीट पर भू–राजस्व की दर रू0 प्रति वर्गफीट से रकम रू0 का 50 गुणा कुल राशि रू0 का तावान आरोपित किया जाता है । उक्त अतिक्रमण को हटाने, अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त बीकानेर तथा पटवारी प0ह0 गंगाशहर को आदेश दिया जाता है। अतिक्रमी को राजकीय गै0मु0 गोचर भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत् पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।

नायब तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर

Scanned by CamScanner